


कार्यालय-ज्ञाप

पशुपालन अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं0-247/XV-1/18/2(7)/2018 दि0 28 मार्च, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के प्राविधानानुसार पशुपालन विभाग में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु सुगम-दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया था।

कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या - 102/XXX(2)/18/30(13)/2017 दि0 14, अप्रैल, 2018 के अनुपालन में उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-247/XV-1/18/2(7)/2018 दि0 28 मार्च, 2018 को निम्नवत् आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है :-

ख-संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष पद हेतु

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	सुगम	दुर्गम
1.	अल्मोडा	---	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा	---

ग-पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-01 एवं समकक्ष पद हेतु

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	सुगम	दुर्गम
1.	अल्मोडा	---	पशुचिकित्सालय, सदर, अल्मोडा	---
2.	नई टिहरी	---	पशुचिकित्सालय, सदर, नई टिहरी	---

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-247/XV-1/18/2(7)/2018 दि0 28 मार्च, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें तथा कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या : 350 /XV-1/18/2(7)/2018, तददिनांकित।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलालयुक्त कुमौऊ/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमौऊ/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।



Seen
DAM

आज्ञा से,


(बी0एम0मिश्र)
अपर सचिव।